संख्या-1132/2026/679/22-2-2026-17(344)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 21 अगस्त, 2026*

विषय:- जिला कारागार अम्बेडकरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामजनम पुत्र श्री स्व0 मुसई, निवासी जनपद-बस्ती की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-13424/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-23.02.2026, दिनांक 07.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार अम्बेडकरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामजनम पुत्र श्री स्व0 मुसई, ईजरगढ, थाना-कलवारी, जनपद-बस्ती का निवासी है। बन्दी द्वारा दहेज में एक लाख रूपये नहीं मिलने के कारण दिनांक 08.11.2015 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गला कसकर श्रीमती अंजू यादव की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-71/2016 में भा0द0वि0 की धारा-306, 498ए व 3/4डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथग, अम्बेडकरनगर के दण्डादेश दिनांक 23.06.2025 द्वारा 08 वर्ष सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में बन्दी की अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 06.09.2025 तक अपरिहार 09 माह, 03 दिन तथा 09 माह, 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी को मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त 08 वर्ष सश्रम कारावास के सापेक्ष दिनांक 06.09.2025 तक अपरिहार 00 वर्ष, 09 माह, 03 दिन तथा सपरिहार 09 माह, 09 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहाई से समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार अम्बेडकरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामजनम (बन्दी संख्या-1162/2025) पुत्र स्व0 मुसई, निवासी जनपद-बस्ती की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1132/2026/679(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।

2- अधीक्षक, जिला कारागार अम्बेडकरनगर।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।